"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर 2012—भाद्र 15, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

आदेश

क्रमांक 7111/2674/21-ब/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, कु. अंजू गुप्ता, परिवीक्षाधीन सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) की सेवायें, तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.

No. 7111/2674/XXI-B/2012.—State Government hereby, in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, terminates the services of Ku. Anju Gupta, Probationer Civil Judge (Entry Level) who has not been found suitable for confirmation, with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.